



| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>31/2014 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> | <p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की त.माल में जारी हुए</p> |
|------------------------|--|---|
| <p>09/05/22</p> | <p>वकुलाय अर्ज बल हेतु अन्तिम अवसर न्यायदिवस में युनः डिफेंड पत्रावली दिनांक 30/05/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;"> अति. जिला कलेक्टर, पाली</p> | <p>0.01.01</p> |
| <p>30.05-22</p> | <p>वकील अपीलार्ड सलायत उपस्थित वकील रज्यो-2 उपस्थित वकील अपीलार्ड सलायत ने न्यायालय में उपस्थित होकर बल हेतु एड और अवसर देने का निवेदन किया, युक्ति पत्रावली में पूर्व में बल हेतु अन्तिम अवसर दिये जा चुके हैं इसलिए बल हेतु एड और अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं होता। अन्तिम अवसर पूर्व में दिये जाने के पर्याप्त भी अधिवक्ता अपीलार्ड न्यायालय में पेश की हेतु उपस्थित नहीं हुए अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63 (1) के तहत अपील अपीलार्ड अथवा पेशी में खारिज की जाती है। नियम की धारा 20 के तहत न्यायालय न्यायालय को प्रेषित हो पत्रावली फाइल में शुमार होकर नम्बर ले कम हो</p> <p style="text-align: center;"> अति. जिला कलेक्टर, पाली</p> | <p>0.11.01</p> |